

महाराष्ट्र शासन
विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापुर विभाग, कोल्हापुर

Email:-jdhekop@gmail.com

फोन नं. (०२३१) २५३५४००, २५३५४५४

फैक्स (०२३१) २५३५४००

जा.क्र. विसं/उशि/कांवि/पद.कॅम्पा/२०१८-१९/ १५५

दिनांक :- २६/०२/२०१९

प्रति,

प्राचार्य,

श्री रावसाहेब रामराव पाटील महाविद्यालय सावळज जि सागली

जि. सांगली

विषय - दि. ११०-२०१७ च्या विद्यार्थीसंख्येच्या आधारावर शिक्षक व शिक्षकेतर पदांची अनुज्ञेयता.

संदर्भ -

१ शासन निण्य यु.एस.सी/११७८/२५२५६७ गोमन-३२ सेल, दिनांक ११/०६/११७८

२ शासन निण्य एनजीसी/२०८०/१६०२८४/५९८७/ युजीएफ.३, दिनांक ०१/०६/१९८१

३ शासन निण्य एनजीसी/१२८६/१२२४ / युजीएफ.४, दिनांक २७/०३/१९८१

४ शासन निण्य बीजोसी/१०९७/प्र.क्र.२४/ आ/अर्वसाकल्य-१९, दिनांक १०/१२/१९९८.

५ शासन निण्य असक-१००१, प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुभारणा, दिनांक ०१/०९/२००१

६ शासन निण्य क्र. युएसजी-१४१३/ (२६) मर्शि.२ दि. १०-५-१९९४

७ शासन निण्य क्र. एनजीसी/२२११/(४७१५)/ विशि.४ दि. २६-८-१९९९

८ शासन निण्य असक-१००१, प्र.क्र.२९/(भाग-३)/२००२/वित्तीय सुभारणा, दिनांक ०१/०१/२००३.

९ शासन निण्य असक-१००१, प्र.क्र.२९/(भाग-६)/२००४/वित्तीय सुभारणा-१, दिनांक ०१/०३/२००४.

१० शासन निण्य एसआरवी-२००७/प्र.क्र.१२९/०७/१२, दिनांक २७/०८/२००७.

११ शासन परिपत्रक, एनजीसी-२०१०/(४१५/१०)विशि.१, दिनांक ०७/०९/२०११.

१२ शासन निण्य संकिंच-२०१२/(४०४/११)विशि.१, दिनांक ११/१०/२०१२.

१३ शासन निण्य क्र. अटावा-१५३/ प्र.क्र १२५/ मर्शि.५ दि. ३-११-२०१८

१४ प्राचार्य, श्री रावसाहेब रामराव पाटील महाविद्यालय सावळज.यांचे पत्र क्र.-२५८....दिनांक ..२६-१२-२०१८.....

उपरोक्त विषयान्वये कल्पिण्यात येते की संदर्भ क्र. १४ नुसार प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामधील आपल्या महाविद्यालयातील दिनांक १-१०-२०१८ च्या विद्यार्थीसंख्येच्या आधारावर विषय निहाय विद्याशाखा निहाय कार्यभार तपासण्यात आला.

शासनाने विहित केलेल्या मानकानुसार कार्यभाराची परिगणना करून खालील अटिच्या अंदिन राहून आपल्या महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदे अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहेत.

शिक्षकीय पदे

प्रपत्र अ

| अ. न. | विषय / पदे | २०१७-१८ चा एकूण कार्यभार | २०१७-१८ ची अनुज्ञेय पदे | २०१७-१८ ची भरलेली पदे | २०१७-१८ ची रिक्त पदे | गत |
|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| १ | प्राचार्य | ६ | १ | १ | ० | - |
| २ | ग्राम्यात | ४२ | १ | १ | ० | |
| ३ | ग्रा.शि.संचालक | ४२ | १ | १ | ० | |
| ४ | इंग्रजी | २४ | १ | १ | ० | १ तासिका |
| ५ | मराठी | ३६ | २ | १ | १ | |
| ६ | हिंदी | ३२ | २ | २ | ० | १ तासिका |
| ७ | संस्कृत/सिंधी/ पाली | ० | ० | ० | ० | |
| ८ | पश्चिमी/जर्मन | ० | ० | ० | ० | |
| ९ | उर्द्दु/इस्लामिक स्टडीज | ० | ० | ० | ० | |
| १० | इतिहास | १६ | १ | ० | १ | १ प्राचार्य |

| | | | | | | |
|----|------------------------|----|----|----|---|--|
| ८ | अर्थशास्त्र | १६ | १ | १ | ० | |
| ९ | संज्ञयशास्त्र | १६ | १ | ० | १ | |
| १० | तत्त्वज्ञान | ० | ० | ० | ० | |
| ११ | भूगोल | ४६ | १ | १ | १ | |
| १२ | मानसशास्त्र | १६ | १ | १ | ० | |
| १३ | समाजशास्त्र | ० | ० | ० | ० | |
| १४ | रसायनशास्त्र | ० | ० | ० | ० | |
| १५ | पदार्थविज्ञान | ० | ० | ० | ० | |
| १६ | बनस्पतीशास्त्र | ० | ० | ० | ० | |
| १७ | प्राणीशास्त्र | ० | ० | ० | ० | |
| १८ | सूक्ष्म जीवशास्त्र | ० | ० | ० | ० | |
| १९ | जीवरसायन शास्त्र | ० | ० | ० | ० | |
| २० | जीवशास्त्र | ० | ० | ० | ० | |
| २१ | संख्या शास्त्र | ० | ० | ० | ० | |
| २२ | वाणिज्य | ० | ० | ० | ० | |
| २३ | लेखाशास्त्र | ० | ० | ० | ० | |
| २४ | संख्याशास्त्र | ० | ० | ० | ० | |
| २५ | गणित | ० | ० | ० | ० | |
| २६ | वीज्ञानेस इकाऊनामिक्स | ० | ० | ० | ० | |
| २७ | वीज्ञानेस लॉ | ० | ० | ० | ० | |
| २८ | पदांवरण शास्त्र /एफ.सी | | | | ० | |
| २९ | ग्रामीण विकास | ० | ० | ० | ० | |
| ३० | पायाभूत अभ्यास | ० | ० | ० | ० | |
| ३१ | इतर | ० | ० | ० | ० | |
| ३२ | | | | | * | |
| ३३ | | | | | | |
| | एकूण | | १४ | १० | ४ | |

प्रपत्र व शिक्षकेत्तर पदे

वर्गवार कनिष्ठ व वर्गिष्ठ महाविद्यालयातील (अनुदारानंत) विद्यार्थी संख्या खालील प्रमाणे आहे.

| अक्र | कनिष्ठ व वर्गिष्ठ महाविद्यालय | विद्यार्थी संख्या |
|------|--|-------------------|
| १ | कनिष्ठ (वर्गिष्ठ महाविद्यालयास मंलोनंत असल्यास) व वर्गिष्ठ महाविद्यालय | ० |
| | कनिष्ठ महाविद्यालय | ० |
| | वर्गिष्ठ महाविद्यालय | २६० |
| | एकूण | २६० |
| २ | विज्ञान विद्याशाखा असल्यास त्यातील विद्यार्थी संख्या | ० |

विद्यार्थी संख्या
विद्यार्थी संख्या अनुदारानंत, उच्च शिक्षण
कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर

संवर्गनिहाय शिक्षकेन्द्र कर्मचारी

| पदनाम | २०१७-१८ अनुज्ञेय पदे | २०१७-१८ भरलेली पदे | २०१७-१८ रियत पदे | शेत्र |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------|
| १ प्रबोधक | ० | ० | ० | - |
| २ अधिकारक | ० | ० | ० | - |
| ३ मुख्य लिपोक | १ | १ | ० | - |
| ४ कनिष्ठ लघुलेखक | ० | ० | ० | - |
| ५ सहा. संचयात्मक | ० | ० | ० | - |
| ६ वैराग्य लिपोक | १ | १ | ० | - |
| ७ कानिष्ठ लिपोक | १ | १ | ० | - |
| ८ प्रदर्शनशाळा सहाय्यक | ० | ० | ० | - |
| ९ शिथालय लिपोक | ० | ० | ० | - |
| १० प्रद्यालय परचर | २ | २ | ० | - |
| ११ प्रद्यालयाळा परचर | ० | ० | ० | - |
| १२ शिपाई | ३ | २ | १ | - |
| एकूण | ८ | ७ | १ | - |

टिप.शासन निर्णय दिनांक ३.११.२०१८ नुसार पदांची अनुज्ञेयता ठर्यावताना, पदांचा आढावा अंतिम झाला नसल्याने मदर अनुज्ञेय पदे अंतिम नाहीत हे आपाणास निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे.

- १ प्रस्तुत्या कार्यभार महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या अनुदानित विद्याशाखा / तुकड्या / विषय व प्रवेशित विद्यार्थीसंख्या विचारात घेऊन परिगणीत होणारा कार्यभार अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे.
- २ महाविद्यालयाने पदनिश्चितीसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात नमुद केलेल्या विद्याशाखा/ तुकड्या/ विषय व विद्यार्थीदाने प्रमाणित केलेल्या विद्यार्थीसंख्येची प्रत्यक्ष महाविद्यालयात पटनांदणी अनिवार्य आहे.
- ३ अनुदानासाठी अनिवार्य असलेली विद्यार्थीसंख्या व कार्यभार परीगणनेसाठी कमाल विद्यार्थी संख्या विचारात घेण्यात यावी.
- ४ प्रात्यक्षिकांसाठी शासन नियमानुसार विहित केलेल्या विद्यार्थी संख्येची वैच (गट) अनिवार्य राहील.
- ५ व्याख्याने / प्रात्यक्षिके/ ट्यूटोरियल (पाटनिंदेशन), प्रोजेक्ट वर्क (प्रकल्प कार्य) या करिता नमुद असणाऱ्या तासिका शासनाने विहीत केलेल्या नियमानुसार असणे आवश्यक आहे.
- ६ महाविद्यालयास अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या पदानुसार शासनाच्या प्रचलित आरक्षण धोरणानुसार विहीत प्राधिकरणामार्फत आरक्षण विंदू नामावली प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.
- ७ पृष्ठील शैक्षणिक यांत्रिमध्ये विद्यार्थीसंख्येत घट झाल्यास किंवा अन्य कारणासतव अनुदानित विभागातील कार्यभार कमी झाल्यास अनुज्ञेय पदसंख्या कमी करण्यात येईल.
- ८ अनुज्ञेय पदानुसार शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय पदभरती करण्यात येऊ नये . अशा अनुज्ञेय पदावरील नियुक्त्यांमध्ये अनियमितता आढळून आल्यास अनुदान निर्धारणात सदर याब अमान्य करण्यात येईल. अनियमित नियुक्तीची जयावदारी संबंधित व्यवस्थापन य महाविद्यालय यांची राहील.
- ९ महाविद्यालयाच्या अनुदान पात्र कार्यभारावर आधारीत पदे अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहे. अनुज्ञेय पदावरील पदभरतीसाठी रखतंत्र पणे शासनाच्या प्रचलित धोरण व कार्यभरतानुसार प्रस्ताव सादर करून नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.

*विभागाच्या सहसंचालक, उच्च शिक्षण
कोक्हापूर विभाग कोल्हापूर*